उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड

(कार्मिक अनुभाग–एक)
संख्या 334-ए/उ0नि0(एक)–02/2022–23
दिनांकः देहरादूनः अप्रैल, 28 ,2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित " **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2018**" की धारा 5 में दी गई व्यवस्था तथां सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र के चिन्हीकरण के सन्दर्भ में परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 में उल्लिखित व्यवस्था के परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य में उद्योग निदेशालय एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों की राज्य/जिला स्तरीय तैनाती को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न कार्यालयों को उनकी वर्तमान स्थिति एवं कार्य क्षेत्र विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए, निम्नानुसार सुगम/दुर्गम क्षेत्र में चिन्हित किया जाता है:–

क0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय का प्रकार राज्य/जिला स्तरीय	स्थान का नाम जहां कार्यालय स्थित है	अधिनियम के अनुसार कार्यालय का सुगम/दुर्गम क्षेत्र हेतु चिन्हीकरण
1	2	3	4	5
1.	उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	राज्य स्तरीय	देहरादून	सुगम क्षेत्र
2.	जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून	जिला स्तरीय	देहरादून	सुगम क्षेत्र
3.	जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार	जिला स्तरीय	रूड़की	सुगम क्षेत्र
4.	जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर	जिला स्तरीय	उधमसिंहनगर	सुगम क्षेत्र
5.	राजकीय डिजाईन सैंटर, काशीपुर	राज्य स्तरीय	काशीपुर	सुगम क्षेत्र
6.	जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी	जिला स्तरीय	हल्द्वानी	सुगम क्षेत्र
7.	जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा	जिला स्तरीय	अल्मोड़ा	दुर्गम क्षेत्र
8.	जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर	जिला स्तरीय	बागेश्वर	दुर्गम क्षेत्र
9.	जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़	जिला स्तरीय	पिथौरागढ़	दुर्गम क्षेत्र
10.	जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत।	जिला स्तरीय	चम्पावत	दुर्गम क्षेत्र
11.	जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पोड़ी गढ़वाल)।	जिला स्तरीय	कोटद्वार	दुर्गम क्षेत्र
12.	जिला उद्योग केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली)	जिला स्तरीय	गोपेश्वर	दुर्गम क्षेत्र
13.	जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर (टिहरी)	जिला स्तरीय	नरेन्द्रनगर (टिहरी)	दुर्गम क्षेत्र
14.	जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रप्रयाग	जिला स्तरीय	रूद्रप्रयाग	दुर्गम क्षेत्र
15.	जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी	जिला स्तरीय	उत्तरकाशी	दुर्गम क्षेत्र

2– उपरोक्तानुसार चिन्हित दुर्गम क्षेत्रों में यदि फील्ड स्तरीय कार्यों के सम्पादन हेतु किसी कार्मिक की नियमित तैनाती के साथ ही उसका मुख्यालय, 7,000 फीट से अधिक ऊँचाई वाले कार्य स्थल पर

निर्धारित किया जाता है तो वहां सम्बन्धित कार्मिक की 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

3— उद्योग निदेशालय एवं उसके नियंत्रणाधीन उक्त वर्णित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की सुगम क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की गणना उक्त तालिका के कालम 4 एवं 5 में दिये गये विवरण के अनुसार की जायेगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
2. उप निदेशक, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी अनुभाग, उद्योग निदेशालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेवसाइड में प्रदर्शन करना सुनिश्वित करें।
3. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. नोटिस बोर्ड।

(अनुपम द्विवेदी)
उप निदेशक उद्योग।